



भारत सरकार, खान मंत्रालय  
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF MINES  
भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय- रायपुर  
INDIAN BUREAU OF MINES, OFFICE OF REGIONAL CONTROLLER OF MINES, RAIPUR  
फोन- 2282530-0771 2285590/ / 95, ईमेल - [ro.raipur@ibm.gov.in](mailto:ro.raipur@ibm.gov.in)

File no- CHG/BST/LST-16/NGP

दिनांक -29.06.2022

प्रेषित- श्री प्रदीप गोएल

गोदम रोड, नयापरा

पोस्ट- जगदलपुर, ज़िला- बस्तर, छत्तीसगढ़

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के ग्राम -छपभानपुर, तहसील जागदलपुर, जिला - जागदलपुर में स्थित आपकी छपभानपुर चूना पत्थर खान (क्षेत्रफल १.५३ ha) में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में-

महोदय

आपकी उपरोक्त खान का दिनांक 16.02.2022 कार्यालय दस्तविज में पाया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है। जिसे इस कार्यालय के रजिस्टर्ड समसंख्यक पत्र दिनांक 22.02.2022 द्वारा 45 दिनों की समयावधि के अंदर निराकरण करने हेतु भेजा गया था।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का ब्यौरा
11(4)	The previous Modified Mining Plan approved vide letter no. BST/LST/MPNL-1133/2017-Raipur dated 16.01.2018 for the proposed period of 2017-18 to 2021-22.  Review of Mining Plan has not been submitted to the competent authority 180 days before expiry of five years period for which it was approved on last occasion for mining operations for a period of five subsequent years.
27 (2)	In Compliance to the gazette notification no. G.S.R. 780 (E) dated 03rd November, 2021, the difference of Financial assurance (FA) as required under Rule 27 (1) and the FA already submitted in the form of bank Guarantee (BG) has not been submitted to this office within 90 days from the date of the notification.

2

आपने उल्लंघन पत्र का जवाब नहीं दिया है तथा आपने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

3 इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवम इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) के अंतर्गत।

(क) नियत तारीख तक प्रस्तुत नहीं करने पर्याप्ररूप में बर्सिक बिबरनी में अपूर्ण/गलत/मिथ्या सूचना देने पर 2,000/ रुपये प्रति दिन नियत तारीख के पश्चात उल्लंघन में सुधार तक भुगतान देना पड़ेगा।

(ख) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

(ग) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।

(घ) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

- अतः आपको यह निर्देश दिया जाता है कि इस पत्र के जारी होने की दिनांक से **30** दिन के भीतर इस कार्यालय
- 4 को **कारण बताएं** कि उपरोक्त उल्लंघनों के लिए क्यों नहीं समस्त खनन संक्रियाएं बंद किया जाए **या** आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जाए ।
  - 5 कृपया ध्यान रखें कि भविष्य में इस संदर्भ में आपको कोई सूचना नहीं दी जाएगी ।

(देबदुर्लभ दाश)  
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी  
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि- सुचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो , इंदिरा भवन, सिविल लाईन, नाा पुर 440001 -  
Email-com.cz@ibm.gov.in

(देबदुर्लभ दाश)  
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी  
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर